

**भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।**

टी०ए० मिस केस सं०-184/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साफ
26.05.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा हाजरी नहीं दी गई। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <b>09.06.2018</b> को निर्धारित की जाती है।</p> <p align="center">अभिलेख <b>09.06.2018</b> को उपस्थापित करें।</p>	
09.06.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय-बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।</p>	
12.03.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक धनु बरहा द्वारा दिनांक-12.03.2019 को आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा T.A Misc Case No. 184/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता वर्तमान में उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। बिक्रेता धनु बरहा द्वारा उक्त अभिलेख को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है। धनु बरहा द्वारा हुए दिये गए आवेदन के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अन्तरण हेतु स्वीकृति दी जाती है।</p> <p align="center"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-796, दिनांक-12.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका धनु बरहा, पिता/पति- <b>बिमल बरहा</b>, जाति- <b>उराँव (अ.ज.जा.)</b>, ग्राम- <b>इटोर</b> थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, जिला <b>प० सिंहभूम</b> ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- <b>वार्ड नं०-06 चक्रधरपुर</b>, थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, थाना नं०- <b>68</b>, खाता नं०- <b>220</b>, प्लॉट नं०- <b>04</b>, रकवा- <b>10 डी0 375 वर्गकड़ी</b>, शहरी आवासीय भूमि क्रेता <b>गोविन्द बल्लव खलखो</b>, पिता/पति- <b>स्व० आनन्द कुमार खलखो</b>, जाति- <b>उराँव (अ.ज.जा.)</b>, ग्राम- <b>इटोर</b>, पो०+थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, जिला- <b>प० सिंहभूम</b> के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका <b>धनु बरहा</b>, पिता/पति- <b>बिमल बरहा</b>, जाति- <b>उराँव (अ.ज.जा.)</b>, ग्राम- <b>इटोर</b> थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, जिला <b>प० सिंहभूम</b> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, जिला-<b>प० सिंहभूम</b> के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति- <b>उराँव (अ.ज.जा.)</b> समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता शपथ पत्र संख्या-1131, दिनांक- 12.03.2019 समर्पित किया गया है जिसमें इनके द्वारा सूचित किया गया है कि चाईबासा अंचल अंतर्गत मौजा- <b>नरसंडा</b> में 1.20 ए० भूमि अवशेष बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता <b>धनु बरहा</b>, पिता/पति- <b>बिमल बरहा</b>, जाति- <b>उराँव (अ.ज.जा.)</b>, ग्राम- <b>इटोर</b> थाना- <b>चक्रधरपुर</b>, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि <b>11,41,250/-- (ग्यारह लाख एकतालीस हजार दो सौ पचास )</b> रूपये में बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक हो उसका निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p align="center">लेखापित</p>	